| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 26/9/19 | **न्यायालय– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।**<br>**नमांतरण अपील वाद संख्या 10/2017–18**<br>**कमलापति पाण्डेय व संतोष कुमार पाण्डेय बनाम् राजेन्द्र चौबे व सुमन्त चौबे व अनुज चौबे**<br>**<u>आदेश</u>**<br>अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। प्रस्तुत वाद की कार्रवाही अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा नामांतरण वाद संख्या 400/15–16 में दिनांक 22.12.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है, जिसके लिए विद्वान अधिवक्ता के द्वारा धारा 5 के तहत विलम्ब दूर करने हेतु आवेदन पत्र देकर अपील आवेदन स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र को अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत की गई एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई।<br>उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना– अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से मुल अभिलेख प्राप्त।<br>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम– सोनपुरा, थाना– नगर उंटारी के खाता संख्या 31, प्लॉट संख्या 205 रकवा 0.29 एकड़, खाता संख्या 50 प्लॉट संख्या 206 रकवा 0.26 एकड़ तथा खाता संख्या 53 प्लॉट संख्या 208 रकवा 0.27 एकड़ कुल रकवा 0.82 एकड़ भूमि अपीलार्थी कमलापति पाण्डेय के पिता एवं संतोष कुमार पाण्डेय के दादा घुरहु पाण्डेय के नाम से है। घुरहु पाण्डेय ने निबंधित केवाला संख्या 6023 एवं 6024 दिनांक 23.12.1976 द्वारा उक्त रकवा 0.82 एकड भूमि राम बिलास राम को हस्तांतरित कर दी। घुरहु पाण्डेय के दो पुत्र राजमोहन पाण्डेय व कमलापति पाण्डेय हुए दानों संयुक्त रूप से रह रहे थे। राजमोहन पाण्डेय ने निबंधित केवाला संख्या 6270 दिनांक 12.11.1981 द्वारा रकवा 0.82 एकड़ भूमि राम बिलास राम से क्रय की थी। राजमोहन पाण्डेय की मृत्यु हो गई। उनके पु, संतोष कुमार पाण्डेय अपीलार्थी भी हैं एवं जमाबंदी घुरहु पाण्डेय के नाम से ही कायम रहा। अपीलार्थी का कहना है कि नामांतरण वाद संख्या 400/2015–16 में जो आम इस्तेहार किया गया है, उसे तामिला न तो मांगधारी को है और न जमाबंदीदार के वंशज को है। साथ ही इस्तेहार पर कब तक आपति करना है वो तिथि अंकित नहीं है, इस प्रकार नामांतरण की प्रकीया का पालन जहीं किया गया। प्रत्यर्थी ने गलत ढंग से उक्त भूमि का बिक्रीनामा अपने पक्ष में कराकर दाखिल अपने नाम से करायी जो अपास्त करने योग्य है।<br>प्रत्यर्थी का कथन है कि यह अपील वाद पूर्णतः कालबाधित है। नामांतरण प्रकिया में मुख्यतः दो बिन्दु होता है। बिकेता का जमाबंदी एवं केता का दखल कब्जा। प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत भूमि घुरहु पाण्डेय पिता– नसीधा पाण्डेय से निबंधित केवाला संख्या 6139 दिनांक 30.10.1981 द्वारा कय किया एवं अपने दखल कब्जा में आये। बिकेता की जमाबंदी एवं केता के दखल कब्जा की पुष्टि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अपने में स्पष्ट रूप से की है, जो नामांतरण प्रत्यर्थी के पक्ष में हुए हैं वह सही है। उसमें हस्तक्षेप करने कोई आवश्यकता नहीं है। | |

| की क्रम ख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि विक्रेता के खुद के नाम से जमाबंदी होने तथा क्रेता के दखल कब्जा होने के आधार पर अंचल अधिकारी ने प्रत्यार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया है।<br>अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>26/9/19<br>उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,<br>श्री बंशीधर नगर।<br><br>26/9/19<br>उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,<br>श्री बंशीधर नगर।<br><br>अतः आदेश की प्रति एवं मूल नामांतरण वाद सं0 400/2015–16 निम्न न्यायालय अंचल कार्यालय, नगर उंटारी को भेजा जाता है।<br><br>26/9/19<br>उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,<br>श्री बंशीधर नगर। | Seen.<br>Bhuchubey<br>Adv. for Respondent<br>21.3.2020 |